(b) if so, whether Government are contemplating to introduce such system on other Railways also; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) Yes.

(b) and (c). The Railways have already instructions to consider sale of dry food packets at such of their stations where there is demand and also to popularise this facility.

On all the Railways, the facility of dry food packets has already been introduced at certain important stations. But due to poor patronage, this facility had to be discontinued at some of those stations.

खिरकिया स्टेशन के प्लेटफार्मों पर यात्री शैड

3479. श्री गं० च० दीक्षित : क्या रेलवे मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य रेलवे पर खिरकिया स्टेंशन के प्लेटफार्मों पर बनें हुए यात्री शैड बिल्कुल अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान यात्री शैडों का विस्तार करनें का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) । डाउन प्लेटफार्म पर लगभग 2300 वर्ग फुट तक शैड का विस्तार किया जा रहा है और यह काम पूरा होनें वाला है । इसको घ्यान में रखते हुए इस स्टेंशन पर प्रतीक्षा करने के लिए जो स्थान उपलब्ध है वह इस सटेंशन पर इस समय जितना यात्री यातायात होता है उसके लिए पर्याप्त है और इसे बढ़ाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

लहेरिया सराय स्टेशन के पास सिगनल का खम्बा

3480. श्री केदार पस्वान : क्या रेलवे मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या बिहार राज्य के दरभंगा जिले में लहरियासराय स्टेंशन के दक्षिण में सिगनल के खम्बे रेल की पटरी के इतना निकट हैं कि उससे प्रायः यात्री टकरा कर मर जाते हैं;

(ख) सिगनल के खम्बे के साथ टकरा कर अब तक कितनें व्यक्ति मर चुके हैं; और

(ग) उस स्थान से सिगनल का खम्बा न हटानें के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं । लहेरिया सराय सटेशन के सभी सिगनल मानक परिचलन परिमाप से परे हैं ।

(ख) 1965 से अब तक दो व्यक्ति जो पायदान पर यात्रा कर रहे थे (जोकि भारतीय रेल अधिनियम की धारा 118 के अन्तर्गत एक अपराध है) और बाहर की ओर झुके हुए थे लहेरिया सराय स्टेशन के अप बाहरी सिगनल के खम्बे से टकरा कर मरे हैं ।

(ग) यद्यपि मीटर लाइन के लिए परिमाप की अधिसूची के अनुसार रेल पथ के केन्द्र से सिगनल के खम्बें की न्यूनतम निर्धारित दूरी केवल 6 फुट ३ इंच है, लेकिन अप बाहरी सिगनल का खम्बा रेल पथ के केन्द्र से 8 फुट 1 इंच की दूरी पर स्थित है । चूंकि रेल पथ से सिगनल के खम्बे की दूरी न्यूनतम दूरी से बहुत अधिक है इसलिए सिगनल के खम्बे को हटाने का सवाल नहीं उठता ।

IMPORT OF CARTRIDGES

3481. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the State Trading Corporation issued licences for the import of cartridges from Czech firms in 1966;

(b) whether it is a fact that not a single cartridge could be bought because the firms could not meet Indaian orders during the validity period of the licences;

(c) whether S.T.C. has increased the import quota of cartridges from 1·25 to 4 per cent this year to attract tourists;